

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

तत्काल जारी करने हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं डीआरएम-बेस्ड डिजिटल एड्रसेबल सिस्टम्स ऑडिट मैनुअल, 2026 का मसौदा जारी किया।

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर 2026 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए आज दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं डिजिटल राइट मैनेजमेंट (डीआरएम) आधारित डिजिटल एड्रसेबल सिस्टम्स ऑडिट मैनुअल, 2026 का मसौदा जारी किया है।

2. दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ इंटरकनेक्शन (एड्रसेबल सिस्टम्स) विनियम, 2017 (इसके बाद 'इंटरकनेक्शन विनियम' के रूप में संदर्भित) विनियमों के प्रावधानों के अधीन, सीएस, एसएमएस, डीआरएम और अन्य संबंधित प्रणालियों सहित टेलीविजन चैनलों के वितरकों के डिजिटल एड्रसेबल सिस्टम्स (डीएस) के वार्षिक ऑडिट को अनिवार्य करता है। इंटरकनेक्शन विनियमों की अनुसूची X मुख्य रूप से आईपीटीवी-आधारित वितरण सेवाओं के लिए डीआरएम-आधारित प्रणालियों हेतु आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करती है।

3. 10 मार्च 2026 को जारी दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ डिजिटल एड्रसेबल सिस्टम्स ऑडिट मैनुअल, 2026, सीएस, एसएमएस और एसटीबी आधारित प्रणालियों सहित अनुसूची III के तहत आने वाली प्रणालियों के लिए विस्तृत खंड-वार ऑडिट प्रक्रियाएँ प्रदान करती है। आईपीटीवी ऑपरेटर्स, प्रसारकों और लेखा परीक्षकों सहित विभिन्न हितधारकों द्वारा 'इंटरकनेक्शन विनियमों' की अनुसूची X के अनुसार डीआरएम-आधारित प्रणालियों के लिए ऑडिट प्रक्रियाओं का विवरण देने वाली एक समान मैनुअल विवरण की आवश्यकता बताई गई थी।

4. तदनुसार, प्राधिकरण ने 'इंटरकनेक्शन विनियमों' की अनुसूची X के लिए डीआरएम सिस्टम्स के अनुपालन के ऑडिट के लिए विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करने हेतु डीआरएम ऑडिट मैनुअल का मसौदा तैयार किया है। ऑडिट मैनुअल को ऑडिट के संचालन के दौरान हितधारकों के लिए एक मार्गदर्शी दस्तावेज के रूप में प्रस्तावित किया गया है।

5. ड्राफ्ट डीआरएम ऑडिट मैनुअल की मुख्य विशेषताओं में निम्नांकित शामिल हैं:

क) अनुसूची X के अनुपालन की जांच करने के लिए एक समर्पित खंड-वार प्रक्रिया, जिसमें एसएमएस, कंडीशनल एक्सेस/एन्क्रिप्शन, फिंगरप्रिंटिंग और एसटीबी/सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के लिए डीआरएम आवश्यकताओं को शामिल किया गया है।

ख) कार्य का दायरा, दस्तावेजी आवश्यकताएं और ऑडिट पूर्व-सिग्नल/अनुपालन ऑडिट तथा वार्षिक सदस्यता ऑडिट के लिए प्रक्रियाएं

ग) ऑडिट को पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा।

घ) ऑडिट प्रक्रिया के दौरान डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर (डीपीओ), ब्रॉडकास्टर और ऑडिटर की स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिकाएं और जिम्मेदारियां; तथा

ड) विक्रेता घोषणाओं, ऑडिट प्रपत्रों और ऑडिट रिपोर्ट के लिए मानक प्रारूप

6. दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं डीआरएम- बेस्ड डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम्स ऑडिट मैनुअल, 2026 का मसौदा ट्राई की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।

7. हितधारकों से लिखित इनपुट, टिप्पणियां और सुझाव, यदि कोई हो, विस्तृत कारणों सहित, जो कि औचित्य और प्रासंगिक डेटा/साक्ष्य द्वारा समर्थित हों, 30.10.2026 तक आमंत्रित किए गए हैं। टिप्पणियां ईमेल आईडी advbcs-2@traai.gov.in और jtadvbcs-3@traai.gov.in पर वरीयतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, डॉ. दीपाली शर्मा, सलाहकार (बी एंड सीएस), ट्राई से ईमेल आईडी: advbcs-2@traai.gov.in या टेलीफोन +91-11-20907774 पर संपर्क किया जा सकता है।


(हरिन्द्र कुमार)
सचिव भादूविप्रा